

# फर्द अहकाम

विशेष विवरण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू

सरकार बनाम कजोड

मुकदमा संख्या / वर्ष

: 28 / 2022

| क्र. सं. | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से   | विशेष विवरण |
|----------|---------------------------|--|-------------|
|          | 19/3/24                   | <p>पतावली पेश हुई वकील अजर्गी व परोकार सरकार उपखण्ड गा. पहा 177 के लम्बख में क्वर्जन / संपरिवर्तन पेश जाने के दस्तावेज पेश किए, जो संलग्न हैं। वकील ने क्वजन किया कि वादग्रस्त भूमि को क्वर्ज किया गया है जिसके दस्तावेज भीमान डे लमख पेश हो चुके हैं। अतः दावा खारिज करने की हया रहे। वाद आदेश पतावली फांक 21/3/24 में पेश दी।</p> <p>(2)</p> <p>उपखण्ड अधिकारी<br/>उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)</p>   |             |
|          | 21/3/24                   | <p>पतावली पेश हुई वकील अजर्गी व परोकार सरकार उक्त ठारा वादग्रस्त भूमि के लम्बख में 177 का वाद पेश किया गया था जिस लम्बख में जर्गी ने वादग्रस्त भूमि को क्वर्ज / संपरिवर्तन करने बाबत दस्तावेज पेश किए जिसके अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि जर्गी ठारा क्वर्जन करवा देने के कारण अब उक्त पतावली में कोई कार्यवाही किया जाना शेष नहीं है। अतः परोकार सरकार लक्ष्मीपार ठारा प्राप्त वाद 177 का खारिज किया जाता है। पतावली वाद तहसील दायित्व समतल हो।</p> <p>(2)</p> <p>उपखण्ड अधिकारी<br/>उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)</p> |             |